UGC Approved Journal
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 01 | January – March 2018

सामाजिक न्याय की स्थिति – महिलाओं के विशेष संदर्भ में।

श्रीमती हर्षा शर्मा, सहायक प्राध्यापक(शोधार्थी), मानवीकी विभाग
रविन्द्रनाथ टेगौर विश्वविद्यालय
रायसेन (भोपाल)

शोध सारांशः– समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के अधिकारों के परीप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिक एवं सामाजिक चेतना के साथ समाज में व्याप्त ऊॅच नीच और भेदभाव को तार्किक एवं विवेकीकृत तरीके से समझने एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया। सामाजिक न्याय की शब्दावली में व्यक्ति के विकास में समाज की हिस्सेदारी अत्यधिक है अतः सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। न्याय के विभिन्न पहलूओं में सामाजिक न्याय की अवधारणा महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। सामाजिक न्याय की अवधारणा किसी काल विशेष व्यक्ति विशेष या देश विशेष के चिंतन का परिणाम नहीं है यह तो समाज निर्माण के समय से चली आने वाली प्रक्रिया है। महिलाएं समाज के 50 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिलाओं की क्षमताओं को समाज में विस्मृत नहीं किया जा सकता। वर्तमान में महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। समाज की सोच को व्यापक बताते हुए सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की उपस्थिति को स्वाभाविक एवं सरलता से स्वीकार किया जाना आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य बिन्दु : सामाजिक चेतना वैयक्तिक चेतना, प्रस्थिति, सामाजिक न्याय की भूमिका

प्रस्तावनाः– न्याय का संबंध एक ऐसी व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवन यापन एवं कर्तव्य पालन की व्यवस्था है जो समाज की प्रत्येक पहलू की प्राथमिक मांग होती है। वैसे यह तय करना कि न्याय क्या होता है यह संपूर्ण मानव जाति के लिए हमेशा से एक समस्या ही रही है क्योंकि न्याय प्रायः न्याय संबंधी मान्यता में समय एवं परिस्थिति के अनुसार फेर बदल होता रहता है। न्याय बहुमुखी होता है जो एक साथ एक समय पर अलग–अलग चेहरे दिखाता है जैसे न्याय की व्याख्या वैविक एवं नैतिक दोनों है। जिसका प्रत्यक्ष संबंध समाज से होता है।

यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम न्याय की व्याख्या करते हुए कहा था कि ''जिसके साथ संयम, बुद्धिमानी और साहस का संयोग होना चाहिये। न्याय अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहने अर्थात समाज में जिसका जो स्थान है उसका भली भांति निर्वहन करने में निहित है।'' न्याय वह सद्गुण है जो अन्य सभी सद्गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। समाज में सुतुलन लाता है एवं उसका रक्षण करता है। जबकि उनकी के

UGC Approved Journal
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 01 | January – March 2018

शिष्य अरस्तू ने न्याय के न्याय के अर्थ में संशोधन करते हुए कहा कि ''न्याय का अभिप्राय आवश्यक रूप से एक खास स्तर की समानता है यह समानता व्यवहारिक एवं तुल्यता पर आधारित हो सकती है।''

न्याय व्यवस्था का मुख्य कार्य केवल विवादों को सुलझाना नहीं होता बल्कि न्याय की रक्षा करना भी होता है। न्याय व्यवस्था कितनी प्रभावशाली है इसका अनुमान न्याय रक्षण से लगाया जा सकता है।

न्याय एक ऐसा दार्शनिक शब्द है जिसके विविध रूप हैं। न्याय प्रायः मौजूदा कानून के वजूद की ईमानदारी और कानूनी कार्यवाही का गुण है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। जबसे व्यक्ति ने समाज और उसकी संस्थाओं के विषय में चिंतन आरंभ किया तब से यह निरंतर चिंतन ही बना हुआ है किंतु इसकी कोई निश्चित एवं सर्वकालिक परिभाषा देना संभव नहीं है। सामाजिक न्याय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार परिवर्तनीय है। सामाजिक न्याय के प्रायः 3 आधार माने गए हैं।

(i) न्याय सामाजिक आचरण एवं व्यवस्था के आधार पर निश्चित होता है।

(ii) न्याय एक स्वतंत्र धारणा न होकर धर्म, नैतिकता, समानता स्वतंत्रता संपत्ति की अवधारणा सम्मिलित होती है।

(iii) न्याय की अवधारणा का संबंध मूल्यों, औचित्य और आदर्शों से है। जब कोई इनका उल्लंघन करता है या असहयोग करता है वह न्याय पर आधारित हो जाता है।

न्याय व्यक्ति की एक स्वाभाविक आवश्यकता है जिससे वह समाज में संतुष्टि से रहते हुए विकास के अवसर प्राप्त करता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा न्याय के विभिन्न पहलूओं की प्रमुख इकाई है। सामाजिक न्याय की अवधारणा किसी नाम विशेष, व्यक्ति विशेष या देश विशेष के चिंतन का परिणाम न होकर समाज निर्माण के लिए सर्वसम्मत मूल्यों, नैतिक नियमों, कर्तव्यों को निर्धारित करने वाले नियमों एवं सर्वकल्याण पर आधारित स्वीकृत है।

समाज में व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग, सौहाद्रपूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया लेकिन उस समय सामाजिक न्याय अथवा सामाजिक अन्याय जैसी कोई स्वतंत्र अवधारणा नहीं थी। केवल सर्वजन

UGC Approved Journal
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 01 | January – March 2018

हिताय सर्वजन सुखाय की शाश्वत धारणा प्रचलन में थी। धीरे–धीरे समाज में आवश्यकतानुसार न्याय की अवधारणा प्रचलन मे आई जिसका संबंध समाज के असहयोगियों को दण्ड देना था समाज द्वारा, धर्म द्वारा प्रतिष्ठित लोक व्यवहार की उपेक्षा कर स्वहित में कार्य करना किसी भी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक कष्ट पहुँचाना अपराध की श्रेणी में आता था। समाज में आपराधिक कृत्यों के लिए दण्ड देना न्याय कहलाता था। यह न्याय कार्य समाज द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निश्चित प्रक्रिया को अपनाकर किया जाता था।

जैसे जैसे समय निकलता गया व्यक्ति का विकास होता गया उसकी आकांक्षाऐं, इच्छाऐं बढ़ने लगीं। सरल से सरलतम एवं दिखावटी जीवन जीने की लालसा में समाज के प्रतिष्ठित नियमों का उल्लंघन होने लगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशालियों के बीच प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई जो इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया उसका शोषण होने लगा एवं यहीं से अन्याय होना प्रारंभ हो गया। यहीं से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में अपराधों की प्रकृति के अनुसार समाज में न्याय का निर्धारण किया। समाज द्वारा धर्म द्वारा प्रतिष्ठित एवं सर्वमान्य औचित्यता के आधार पर स्वीकृत नियमों द्वारा सामाजिक लोकाचार की अनुपालना व उपेक्षा के आधार पर सामाजिक न्याय की अवधारणा का उदय हुआ।

आधुनिकता की ओर अग्रसर होते–होते समय के स्वरूप व प्रकृति में परिवर्तन के साथ सामाजिक मूल्य नैतिकता धर्म आदि द्वारा संगठित रखने एवं व्यवस्थित रूप से चलाने वाले नियमों में परिवर्तन आ गए। समाज का परंपरागत मूल्य मुख्यतः समाज के स्वरूप व्यक्ति के सद्‌गुण एवं न्यायपरायण पर आधारित थे। परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य आधार नैतिक न्याय था, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण का आधार सामाजिक न्याय हो गया इसलिए सामाजिक न्याय की संकल्पना सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के स्थान पर समानता एवं स्वतंत्रता के आदर्शों में समन्वय स्थापित करने का साधन बन गई।

सामाजिक न्याय एक ऐसा शब्द है जो उस व्यक्ति को गरिमा प्रदान करता है जो अन्याय का विरोध करने में विश्वास करता है तथा किसी भी प्रकार के अन्याय के विरोध के लिए प्रेरित करता है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा मूल रूप से इस बात पर आधारित है कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर समान हैं किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से असमान नहीं माना जा सकता। व्यक्ति का सम्मान, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार एवं संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय के प्रमुख आधार हैं।

UGC Approved Journal
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 01 | January – March 2018

सामाजिक न्याय एवं महिलाएं :–

सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि महिलएं विश्व की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हैं। यदि दुनिया में महिलाएं न हो तो विश्व चल ही नहीं सकता क्योंकि विश्व के सभी व्यक्ति को, चाहे वह महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षक एवं अन्य अद्वितीय बौद्धिक शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति क्यों न हो सभी की जन्मदात्री एक महिला होती है। हमारे समाज में यह एक नितांत खेद का विषय है कि 21वीं शताब्दी में जब मनुष्य ने सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्राप्त कर लिए एवं सभ्यता एवं संस्कृति का अतुलनीय विकास हो गया तब भी वर्तमान विश्व को पुरूष प्रधान ही माना जा रहा है। एक कष्टकारी तथ्य यह भी है कि विश्व के 224 में से किसी भी देश ने महिला पुरूष समानता में लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया। पश्चिमी देशों जिनको कि सबसे अधिक सभ्य, शिक्षित, सुसंस्कृत और खुले विचारों वाला माना जाता है वहॉ भी किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की क्षमताओं का प्रश्न है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व सोवियत संघ (वर्तमान रूस) में महिलाओं का 52 प्रतिशत है उसके बाद भी यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है। इसराइल के विकास में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वहॉ महिलाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था है। वहॉ का दृष्टांत यह सिद्ध करने की इजाजत नहीं देता कि महिला पुरूष पूर्ण रूप से समान है यहॉ भी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में प्रभुत्व दर्शाया जाता है।

भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और वर्तमान में भी भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। जिसमें लगभग 80 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। भारत में महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 47 प्रतिशत है। जिनको सामाजिक न्याय सुलभ नहीं हो पाया है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में निरंतर वृद्धि ही हुई है। दहेज प्रथा अभी भी समाज में अभिशाप है। समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक कानून अनेक नियमों का निर्माण किया गया किंतु यह भी समाज का एक दुखद सत्य है कि समाज, पुलिस, प्रशासन व न्यायपालिका के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हो पा रहे। जब तक हमारी जिला स्तरीय (न्यायपालिका, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपनी–अपनी जिम्मेदारी स्वयं सुनिश्चित ना कर लें तथा स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेकर समाज में महिलाओं के प्रति अपने विवेक से निर्णय लेकर समाज में महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक किसी भी सरकार द्वारा) कानून बनाये जाने को कोई लाभ नहीं होगा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार जारी रहेंगे।

UGC Approved Journal
© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 01 | January – March 2018

देश की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता संतोष जनक नहीं है। 1952 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 22 जो बाद में घट गई। सन् 2004 के चुनाव में 355 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें से सिर्फ 45 महिलाएं ही चुनाव जीत सकी तथा 239 महिलाओं की जमानत जब्त हो गई।

देश की विभिन्न सरकारों द्वारा महिला विकास एवं कल्याण के लिए समय–समय पर कई योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण एवं संचालन किया जाता रहा है उदाहरण के तौर पर महिला साक्षरता अभियान के तहत् महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है। वर्तमान में देश की राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। देश कई प्रमुख शीर्ष कंपनियों के उच्च पदों को महिलाएं संभाल रही हैं। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रमुख विपक्षी नेता जैसे पदों पर महिलाओं ने कार्य किया है। भारत में अन्य देशों की तुलना में कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है।

राजनीति में महिला आरक्षण अधिनियम (संविधान संशोधन विधेयक संख्या 108) को देश की एक बड़ी संख्या लागू करना चाहती है किंतु कई दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और विरोध किये जाने का जो तरीका राज्य सभा में अपनाया गया उसने भारतीय लोकतंत्र व लोकतांत्रिक व्यवस्था को संपूर्ण विश्व में अपमानित किया है।

भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं राजनीतिक उपलब्धियों के बीच महिलाओं की तस्वीर बहुत धुंधली हो गई है। सामाजिक न्याय की वकालत करो वाला पुरूष समाज महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं कामयाबी की सरलता स्वीकार कर पाएगा यह समाज का एक ज्वलंत प्रश्न है। हमारे समाज की सोच महिलाओं की स्वतंत्रता एक कार्य के क्षेत्र को उसके चरित्र पर आंकने लगाताी है पिछले कई दशकों में समाज में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न एवं न्याय के लिए कई कानूनों का निर्माण हुआ किंतु जमीनी हकीकत में अगर उन कानूनों का, उन नियमों का इसी गंभीरता के साथ पालन होता तो हमारे समाज में होने वाली महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 14 में महिलाओं के लिए कानूनी समानता अनुच्छेद 21 में स्त्री–पुरूष को समान प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 39(घ) में पुरूष महिला समान कार्य समान वेतन का अधिकार की व्यवस्था है। गौर तलब बात ये है कि विभिन्न कानून एवं अनुच्छेदों की व्यवस्था का क्रियान्वयन कितना वास्तविक है। भारतीय दंड संहिता कानून महिलाओं की एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है।

उपसंहारः– अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक न्याय महिलाओं के लिए समान रूप से कारगर है एवं महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। महिलाएं समाज का, राजनीति का, धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है इसलिए सामाजिक न्याय के प्रति महिलाओं की भागीदारी पूरे देश को सकारात्मक रूप से शीर्ष पर ले जाने की एक मजबूत सीढ़ी है। जिस प्रकार से प्रत्येक परिवार के विकास में महिलाओं का योगदान अतुलनीय है। उसी प्रकार देश के विकास में भी उसकी सहभागिता महत्वपूर्ण बन जाएगी व देश का विकास निरंतर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ धनात्मक दिशा में होगा।

संदर्भ ग्रंथः–

1. सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय
संपादक– डॉ0 शीला राय
इशिका पब्लिकेशन, नई दिल्ली

2. निजता के अधिकार
सुनिल कुमार मिश्रा
राजीव पिपलानी
मार्डन लॉ हाउस, नई दिल्ली

3. सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक संतुलन
अनिरूद्ध प्रसाद
रावत पब्लिकेशन, जयपुर

4. डॉ0 जय नारायण पाण्डे
भारत का संविधान
सेंट्रल लॉ ऐजेंसी, इलाहाबाद

5. भारत में समाज कल्याण प्रशासन
डी. सचदेव
किताब महल, जयपुर